न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

नरपत सिंह बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	केस मु.नं. [illegible]
31-10-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/12/23 को पेश हो।
14-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5-1-24 को पेश हो।
5-1-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23-1-24 को पेश हो।
23.01.24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की पूर्व में सम्यक तामिल हो चुकी है, सम्यक् तामिल हो जाने बाद उपरांत भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादी ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर बहस अंतिम किये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् ईस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकॉर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक रूप से स्वीकार निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 23/01/24 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:52:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
2017/335	2017/1240	06.02.2022	23.01.2024

उनवान प्रकरण

1. नरपतसिंह पुत्र श्री मंगेजसिंह जाति राजपूत आयु 52 वर्ष निवासी ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

-- वादी--

बनाम्

1. पटवारी हल्का अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर सीकर

----प्रतिवादीगण

4. जगदीशसिंह आयु 48 वर्ष पुत्र श्री मंगेजसिंह
5. भवानीसिंह आयु 45 वर्ष पुत्र श्री मंगेजसिंह
6. विश्वजीतसिंह पुत्र श्री दिलीपसिंह आयु 19 वर्ष
7. नेम कंवर पत्नि दिलीपसिंह आयु 42 वर्ष
8. कंचन कंवर पुत्री दिलीपसिंह आयु 15 वर्ष
9. संजू कंवर पुत्री दिलीपसिंह आयु 13 वर्ष

प्रतिवादी संख्या 8 व 9 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक नेमकंवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:52:38 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 23/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

10. धापू कंवर पत्नि मंगेजसिंह आयु 70 वर्ष
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मानगढ़ तहसील
श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

-----तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरुका एड0 वादी अभिभाषक।

श्री नरेश कुमार शर्मा एड0 तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 10 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार प्रतिवादी संख्या- 1 ता 3 की ओर से।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) (नीमकाथाना)

वादपत्र बाबत् ईस्तकरार हक, दुरुस्ती रिकार्ड
एंव स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

--:: निर्णय ::--

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर के खसरा नम्बर नये 602 रकबा 1.09 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 368/1 रकबा 15 बीघा में से 1.09 हैक्टर पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 10 ... बजमार्न से काबिज काश्त है। उक्त भूमि खसरा नम्बर नवीन 602 ... 1.09 हैक्टर की गिरदावरिया संवत 2009 से लगातार आज तक वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:52:38 IST
Reason: SelfAttested

23/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

मंगेजसिंह पुत्र श्री बालसिंह के नाम अंकित चली आ रही है। व इसके पूर्व वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान पन्नेसिंह पुत्र तूलसिंह के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि का पुराना खसरा नम्बर 368/1 था जिसमें से 10 बीघा की खातेदारी किशना पुत्र श्री कालूराम के नाम परिवर्तित हो चुकी है। राजस्व कर्मचारियो ने प्रथम सैटलमेन्ट के समय उक्त भूमि की खातेदारी सहवन से वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता के नाम नही कर उक्त खसरा नम्बर 602 रकबा 1.09 हैक्टर की खातेदारी सिवायचक अंकित कर दी। उक्त भूमि का नियमन के लिये भी वादी के पिता जो कि भूतपूर्व सैनिक थे ने काफी कोशिश की एंव प्रशासन गांवो के संग एंव ग्राम पंचायत पर काफी प्रयास किये, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियो ने कोई कार्यवाही नही की। वादी का भाई दिलीपसिंह था जो कि भारतीय सैना में था जिसकी मृत्यु 2 साल पूर्व हो गयी। जिसके वारिस तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 6 ता 9 है एंव वादी के पिता की मृत्यु दिनांक 20.8.2010 को हो गयी। इसलिये उनके वारिस वादी एंव प्रतिवादीगण नम्बर 4 ता 10 है। खसरा नम्बर 602 रकवा 1.09 हैक्टर पर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण वक्त बुजुर्गान के समय काबिज काश्त एवं आबाद चला आ रहे है। वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण की उक्त भूमि से दीगर किसी का कोई ताल्लुक किसी किस्म का नही है। वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण वक्त बुजुर्गान से भूमि पर [illegible] होने के कारण विपरीत कब्जे के आधार पर भी खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण ने समय-समय पर अपनी उक्त भूमि को अपनी स्वंय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:52:38 IST
Reason: SelfAttested

22/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

की मेहनत व लाखो रूपये लगाकर उन्नत एंव उपजाऊ बनाया है। भूमियों को समतल करवाया हैं तथा चारो तरफ बाउण्ड्री व तारबन्दी तथा रिहायशी खाम घर बना रखे है तथा फसल काश्त कर रखी है। वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण उक्त भूमियो पर वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज होने के कारण उक्त भूमियों खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम नहीं होने के कारण वादी को सख्त हकतल्फी हैं। वादी सरकारी सहायता ऋण, अनुदान, किसान केडिट कार्ड वगैरह से वंचित हो रहा हैं एंव खातेदार काश्तकार को मिलने वाली सुविधाओं से वादी वंचित हो रहा है। वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को खातेदारी दुरूस्त कराने बाबत कंहा तो उन्होने कोई कार्यवाही नही की। इस कारण उक्त दावा पेश हैं। अंत मे निवेदन किया कि ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर के खसरा नम्बर नये 602 रकबा 1.09 हैक्टर का वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने का निवेदन किया।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्र्ड डाक से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल होने के बावजूद भी हाजिर अदालत नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी गयी व प्रतिवादी नम्बर 2 को तहरीर जारी कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी जिस पर प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय मे पेश की गयी तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:52:38 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 27/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 10 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एवं वादी के मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र व गवाह/साक्ष्य में बाबूलाल सैनी व सुरेश कुमार सैनी के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुये जो शामिल मिशल किये गये। प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जारी तहरीर आदेश की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पत्रांक भू.अ./23/1216 दिनांक 20.07.2023 द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट को शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि खसरा नम्बर 602 रकबा 1.09 हैक्टर के नये खसरा नम्बर 602/1 रकबा 1.0250 हैक्टर व खसरा नम्बर 602/2 रकबा 0.0650 हैक्टर गै.मु.रास्ता तन् ग्राम मानगढ़ दर्ज हुये हैं। भूमि खसरा नम्बर 602/1 रकबा 1.0250 हैक्टर तन् ग्राम मानगढ़ पटवार हल्का मानगढ़ की खातेदारी किश्म बंजड़-2 (सिवायचक) दर्ज हैं जिसके पुराने खसरा नम्बर 368/1 थे। वादी द्वारा प्रस्तुत गिरदावरियां के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 368/1 मे 5 बीघा काश्त गिरदावरी पुराने रिकार्ड मे वादी व वादी के पिता मंगेजसिंह पुत्र बालसिंह जाति राजपूत के नाम से दर्ज हैं। तहसीलदार श्रीमाधोपुर रिपोर्ट के आधार पर भी काश्त गिरदावरी वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण व वादी के पिता के नाम दर्ज हैं। वादी का विवादित भूमि पर कदीम से कब्जा काश्त निर्विवाद रूप से चला आ रहा हैं ऐसी स्थिति मे वादी को तरतीबी प्रतिवादीगण को विवादित भूमि पर काश्त किये जाने से वंचित रखना उचित प्रतीत नही होता हैं। अतः ऐसी स्थिति से वादी का वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:52:38 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

भूमिधारी को पाबंद किया जाता हैं कि भूमि खसरा नम्बर 602 जिसके नये खसरा नम्बर 602/1 रकबा 1.025 हैक्टर तन् ग्राम मानगढ़ से बेदखल नही करे तथा यह भी निर्देशित किया जाता हैं की उक्त प्रकरण नियमन परामर्श समिति की बैठक मे विचार विमर्श कर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के हक मे विवादित भूमि खसरा नम्बर 602/1 रकबा 1.025 हैक्टर तन् ग्राम मानगढ़ का नियमन किया जावे। पत्रावली सक्षम नियमन परामर्श समिति के समक्ष पेश हो।

--:: क्रियात्मक आदेश ::--

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् ईस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाकर भूमिधारी को पाबंद किया जाता हैं कि भूमि खसरा नम्बर 602 जिसके नये खसरा नम्बर 602/1 रकबा 1.025 हैक्टर तन् ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर से वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण को बेदखल नही करे तथा यह भी निर्देशित किया जाता हैं की उक्त प्रकरण नियमन परामर्श समिति की बैठक मे विचार विमर्श कर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के हक मे विवादित भूमि खसरा नम्बर 602/1 रकबा 1.025 हैक्टर तन् ग्राम मानगढ़ का नियमन किया जावे। पत्रावली सक्षम नियमन परामर्श समिति के समक्ष पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

23/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:52:38 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 23.01.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना